हेतराम .... बनाम .... गंगाराम

53-188 RTA .... नं. .... 247/2007 सन् ....

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
आज यह पत्रावली प्रार्थी शिवराम पुत्र निरोती प्रसाद जाति ब्राह्मण नि० धौरमुई तहसील भरतपुर के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनवानी मुकदमा हेतराम बनाम गंगाराम वगै. में दिनांक 24.05.17 को न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई है। निर्णय/डिक्री में सहवन से हाल खसरा नम्बर 217 रकबा 20 एयर पर भगवती पत्नि भरतलाल के हिस्से की कुर्रा रिपोर्ट में दर्ज किया गया है जबकि पटवारी हल्का की कुर्रा रिपोर्ट राजस्व एवं दावा में ख.नं. 217 रकबा 30 एयर दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में भी खसरा नम्बर 217 का रकबा 30 एयर ही दर्ज है। अतः निर्णय दिनांक 24-05-17 में ख.नं. 217 रकबा 20 एयर के स्थान पर 30 एयर संशोधित किया जावे। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2063-66 के अनुसार वाके ग्राम धौरमुई तह० भरतपुर स्थित ख.नं. 217 रकबा 0-30 हे. दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/LR/16/5630 दिनांक 08-11-16 के संलग्न पटवारी हल्का की कुर्रा रिपोर्ट में भी ख.नं. 217 रकबा 0.30 हे. अंकित है जो भगवती पत्नि भरतलाल के कुर्रा में दिया गया है। किन्तु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.17 को पारित निर्णय/डिक्री में लिपिकीय त्रुटि के कारण ख.नं. 217 रकबा 30 एयर के स्थान पर ख.नं. 217 रकबा 20 एयर अंकित हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.05.17 में कुर्रा सं. 4 में अंकित हाल ख.नं. 217 रकबा 0-20 पर भगवती पत्नि भरतलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज रहेंगे, के स्थान पर हाल ख.नं. 217 रकबा 0.30 पर भगवती पत्नि भरतलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज रहेंगे, शुद्ध किया जाता है। तदनुसार संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो। प्रा.पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर भरतपुर	